



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062021-227840
CG-DL-E-24062021-227840

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2313]
No. 2313]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 23, 2021/आषाढ़ 2, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 23, 2021/ASHADHA 2, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

का.आ. 2491(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (१) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. ३७८६, दि. २३ अक्तूबर २०२० जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में NH७५३F के कि.मी. ६०.६३० से कि.मी. ९९.६६० (उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, नगर परिषद कार्यालय जवळ, सिल्लोड) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख ०६/१२/२०२० को "दैनिक संजयवार्ता" और तारीख ०७/१२/२०२० को "दैनिक नवा मराठा" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में NH७५३F के कि.मी. ६०.६३० से कि.मी. ९९.६६० (उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, नगर परिषद कार्यालया जवळ, सिल्लोड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: औरंगाबाद			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: सिल्लोड				
	गांव का नाम: अन्वी				
1	236	निजी	कृषिक	0.03	प्रसाद अरविंद जोशी (२३६)
2	237	निजी	कृषिक	0.0575	बालाजी रामभाऊ बर्डे, शकुंतलाबाई रामा भवर (२३७)
	गांव का नाम: बाळापुर				
3	121	निजी	कृषिक	0.015	बाजीराव बाबुराव निंभोरे, संजय बाबुराव निंभोरे, मधुकर बाबुराव निंभोरे (१२१)
4	69	निजी	कृषिक	0.17	सै अली सै लाल सय्यद, सै याकुब सै लाल, सै हुसेन सै लाल, इम्रानखा युनुस खा, जुबेरखा युनुस खा, जाकरखा युनुस खा, सुलतानबी युनुस खा, अनिसखा युनुस खा, सकीनाबी युनुस खा, लीलाबाई शंकर चौंडीये, हरीश शंकर चौंडीये, सुभम

					शंकर चौड़ीये, योगेश शंकर चौड़ीये, रोशनी शंकर चौड़ीये, शेख कादर शहा महंमद (६९)
5	79	निजी	कृषिक	0.64	रमेश कन्हैयालाल लुल्ला, सतीश विशनदास मत्तानी, आशीष राजेंद्र जैस्वाल, राजेंद्र कमलनारायण जैस्वाल, स्मीता राजेंद्र जैस्वाल (७९)
6	80	निजी	कृषिक	0.05	अलीबीन अहमद, नफीसबी इस्लाम, बिलकीसबी अजीज, महंमदबीन अहमद, हलीमाबी अहमद, हाजराबी सादक, हादीबीन अहमद (८०)
गांव का नाम: मुकपाठ					
7	29	सरकारी	अकृषिक	0.0435	सरकार राखीव वन (२९)
गांव का नाम: पालोद					
8	124	निजी	अकृषिक	0.02	सरकार (१२४)
9	190	निजी	कृषिक	0.15	कृष्णा विठोबा, पंडीत शंकर, माणिक शंकर, सिद्धार्थ शंकर, संजय शंकर (१९०)
10	245	निजी	कृषिक	0.07	बाबुराव म्हतारजी काटकर, तुकाराम गंगाराम काटकर माणिकराव तुकाराम काटकर, बाजीराव तुकाराम काटकर, अंजनाबाई सुखदेव उसारे, अल्काबाई रामराव काटकर, शेषराव रामराव काटकर, विलास रामराव काटकर, विशाल रामराव काटकर (२४५)
11	246	निजी	कृषिक	0.062	कौसाबाई कडुबा, दादाराव जगदेव सोनवणे, कासाबाई रावसाहेब बर्डे, द्वारकाबाई गहनाजी सावळे, रामेश्वर जगदेव सोनवणे, रुखमनबाई सिताराम काळे

					(२४६)
12	247	निजी	कृषिक	0.025	ज्ञानेश्वर श्रीपत समिंद्रे (२४७)
	गांव का नाम: पानस				
13	47	निजी	कृषिक	0.0305	मनीषा प्रभु मोरे, मनोहर शेषराव गव्हाने, कृष्णा शेषराव गव्हाने (४७)
14	48	निजी	कृषिक	0.35	केशव किसन धनवट, अशोक किसन धनवट, शिवाजी किसन धनवट (४८)
	गांव का नाम: राजनी				
15	32	निजी	कृषिक	0.94	उत्तम सिताराम बिरारे, अशोक सिताराम बिरारे, तुळसाबाई सिताराम दांडगे, चंद्रकलाबाई मुरलीधर काळे, कमलबाई राजेंद्र दांडगे, विमलबाई भिका दांडगे, संतोष रामदास बिरारे, देवेंद्र रामदास बिरारे, राहुल रामदास बिरारे, हाजी सलीम औज मलीक (३२)
			कुल	2.6535	

[फा. सं. 12037/32/2017-MAH-P6/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd June, 2021

S.O. 2491(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No. 3786(A), Date :- 23rd October 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH753F on the stretch of land from Km. 60.630 to Km. 99.660 (Sub Divisional office, Near Nagar Parishad office, Sillod) in the district of AURANGABAD in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Daily Sanjaywarta” Dated on 06/12/2020 and “Daily Nava Maratha” dated 07/12/2020 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH753F in the stretch of land from NH753F (Sub Divisional Office, Near Nagar Parishad office, Sillod) in the district of AURANGABAD in the state of MAHARASHTRA .

State: MAHARASHTRA			District: AURANGABAD		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Sillod				
	Village: Anvi				
1	236	Private	Agriculture	0.03	Prasad Arvind Joshi 236
2	237	Private	Agriculture	0.0575	Balaji Rambhau Barde, Shakuntalabai Rama Bhawar 237
	Village: Balapur				
3	121	Private	Agriculture	0.015	Bajirao Baburao Nimbhore, Sanjay Baburao Nimbhore, Madhukar Baburao Nimbhore 121
4	69	Private	Agriculture	0.17	S Ali S Lal Sayyad, S Yakub S Lal, S Husen S Lal, Imrankha Yunus Kha, Juberka Yunus Kha, Jakerka Yunus Kha, Sultanbee Yunus Kha, Aniskha Yunus Kha, Sakinabee Yunus Kha, Lilabai Shankar Choundiye, Harish Shankar Choundiye, Subham Shankar Choundiye, Yogesh Shankar Choundiye, Roshani Shankar Choundiye, Shekh Kadar Shaha Mahamad 69
5	79	Private	Agriculture	0.64	Ramesh Kanhaiyalal Lulla, Satish Vishandas Mattani, Aashish Rajendra Jaiswal, Rajendra Kamalnarayan Jaiswal, Smita Rajendra Jaiswal 79
6	80	Private	Agriculture	0.05	Alibin Ahmad, Nafisbee Islam, Bilkisbee Ajij, Mohammadbin Ahmad, Halimabee Ahmad, Hajrabee Sadak, Hadibin Ahmad 80

	Village: Mukpath				
7	29	Government	Non Agriculture	0.0435	Government Reserve Forest 29
	Village: Palod				
8	124	Private	Non Agriculture	0.02	Government 124
9	190	Private	Agriculture	0.15	Krushna Vithoba, Pandit Shankar, Manik Shankar, Siddharth Shankar, Sanjay Shankar 190
10	245	Private	Agriculture	0.07	Baburao Mhatarji Katkar, Manikrao Tukaram Katkar, Bajirao Tukaram Katkars, Anjanabai Sukhdev Usare, Alkabai Ramrao Katkar, Sheshrao Ramrao Katkar, Vilas Ramrao Katkar, Vishal Ramrao Katkar 245
11	246	Private	Agriculture	0.062	Kausabai Kaduba, Dadarao Jagdev Sonawne, Kasabai Raosaheb Barde, Dwarkanabai Gahenaji Sawale, Rameshwar Jagdev Sonawne, Rukhmanbai Sitaram Kale 246
12	247	Private	Agriculture	0.025	Dnyaneshwar Shripat Samindre 247
	Village: Panas				
13	47	Private	Agriculture	0.0305	Manisha Prabhu More, Manohar Sheshrao Gavhane, Krushna Sheshrao Gavhane 47
14	48	Private	Agriculture	0.35	Keshav Kisan Dhanvat, Ashok Kisan Dhanvat, Shivaji Kisan Dhanvat 48
	Village: Ranjani				
15	32	Private	Agriculture	0.94	Uttam Sitaram Birare, Ashok Sitaram Birare, Tulsabai Sitaram Dandge, Chandrakalabai Murlidhar Kale, Kamalbhai Rajendra Dandge, Vimalbhai Bhika Dandge, Santosh Ramdas Birare, Devendra Ramdas Birare, Rahul Ramdas Birare, Haji Salim Auj Malik 32
			TOTAL	2.6535	

[F. No. 12037/32/2017-MAH-P6/3D]

RAJESH GUPTA, Director